न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 45/2015

1 रामसिंह पुत्र गोविन्दराम।
2 शांति देवी मृतक।
2/1 प्रभातीलाल पति शांति।
2/2 अशोक पुत्र शांति।
2/3 मीरा पुत्री शांति।
2/4 रोशनी पुत्री शांति।
2/5 सुमन पुत्री शांति समस्त जाति जाट निवासीगण नीमकी हाल आबाद लोहारवाड़ा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र गोविन्दराम निवासी निमकी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 पटवारी हल्का होद।
3 पटवारी हल्का बासड़ी।
4 पटवारी हल्का समर्थपुरा।
5 उप पंजियक खण्डेला।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलेक्टर खण्डेला
दिनांक 11.01.2013 अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–20.09.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 155/2012 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 101,118 कुल किता 2 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर तन ग्राम चक खण्डेला नम्बर 2, खसरा नम्बर 2,3,4,5,6 कुल किता 5 कुल रकबा 3.02 हैक्टेयर तन ग्राम चक दुल्हेपुरा नम्बर 2 एवं भूमि खसरा नम्बर 16/2 रकबा 0.54 हैक्टेयर तन ग्राम पीपलोदा का बास तहसील श्रीमाधोपुर वर्तमान तहसील खण्डेला जिला सीकर अवस्थित है। यह पूर्व में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गोविन्दराम के खाते, कब्जे, काश्त की थी तथा उसकी मृत्यु के बाद 1/3 हिस्सा अपीलांट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा वादी अपीलांट संख्या 2 का व 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा इसी मुताबिक काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में एक दावा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत तथा उसके साथ में दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर बंटवारे से पूर्व अन्तरण नही करने के लिये पाबन्द कर दिया है जबकि विधि अनुसार काश्तकार को अपना हिस्सा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। अपीलांट अविवाहित है, केंसर से पिड़ित है। उपचार हेतु पैसों की आवश्यकता है। विधि अनुसार अपीलांट को अपना हिस्सा विक्रय करने का पुरा अधिकार है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 505, आर.आर.डी. 1985 पेज 589 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य पैतृक सम्पति के विभाजन का वाद विचारण न्यायालय में लम्बित है। विभाजन से पूर्व विचारण न्यायालय ने विक्रय करने से पाबन्द किया है। पक्षकारों मे वादबाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट के बीमार होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर बंटवारे से पूर्व अन्तरण नही करने के लिये पाबन्द कर दिया है जबकि विधि अनुसार काश्तकार को अपना हिस्सा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की खातेदारी को लेकर कोई विवाद नही है। पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन का वाद लम्बित है। ऐसी स्थिति में किसी भी खातेदार को उसका हिस्सा विक्रय करने से पाबन्द किया जाना विधि सम्मत नही है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर